भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

(21)

न्यायालयः श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0
I/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा/2018/2263
प्रकरण कमांक /2017-18 निगरानी

कृष्ण भान सिंह, इन्द्रभान सिंह, लाल साहब सिंह पुत्रगण श्री हरतूम सिंह यादव निवासीगण- ग्राम मेद्योना बडा बिजरोनी तहसील बदरबास जिला शिवपुरी म0प्र0

..... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. म0प्र0 शासन
2. राजवीर सिंह पुत्र श्री बीरेन्द्र सिंह ठाकुर निवासी- पडोरा तहसील पिछोर जिला शिवपुरी म0प्र0

- प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 विरूद्ध आदेश दिनांकी 27.02.2018 पारित द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिछोर शिवपुरी जिनके द्वारा प्रकरण कमांक 05/17-18 व उनमान राजवीर सिंह आदि आवेदकगण बनाम कृष्णभान सिंह आपत्तिकर्ता के उनमानित प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार परगना पिछोर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 01/2017-18/अ-6(2) के

3

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रचलित प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित रखे जाने का आदेश दिया गया तत्पश्चात उक्त निर्देश के पालन में अधीनस्थ न्यायालय में नामांतरण प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित रखे जाने का आदेश दिनांक 28.02.2017 को पारित किया गया से प्रतिवेदित होकर निगरानी।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/शिवपुरी/भू0रा0/2018/2263

कृष्णभान सिंह आदि विरूद्ध म.प्र. शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पिछोर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 05/अ–6/2017–18 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28–2–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत इस निगरानी को सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11–06–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 08/5/19	